Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में नगर परिषद का कनिष्ठ सहायक का दलाल 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 जून, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, नागौर का दलाल गुलामुद्दीन (प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 35 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आवासीय मकान का पट्टा बनाने की एवज में हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, नागौर द्वारा उसके दलाल गुलामुद्दीन (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से 35 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री मोहन सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल गुलामुद्दीन पुत्र श्री हाफीज लाल मोहम्मद निवासी पीएचईडी बस्ती, अजमेरी गेट के पास, नागौर (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 35 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरनारायण गौड़ कनिष्ठ सहायक, नगर परिषद, नागौर एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।